परिशिष्ट – 01

कर्मचारियों का ब्योरा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 की उपधरा 2(ए) एवं कम्पनी संशोधन नियम 2011 के अन्तर्गत वांछित सूचना जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष की निदेशकों की आख्या का अंश है।

क्र.सं.	नाम /आयु (वर्ष)	पद एवं कार्य की प्रकृति	कुल पारिश्रमिक रू	योग्यता एवं अनुभव	सेवायोजन प्रारम्भ होने की तिथि	निगम की सेवा में आने के पहले का अन्तिम सेवायोजन
1	2	3	4	5	6	7
सम्पूर्ण वित वर्ष हेतु सेवायोजित और पारिश्रमिक जो वर्ष की कुल आय रू0 60,00,000/– से कम न हो या वर्ष के एक भाग के दौरान सेवायोजित और प्रतिमाह के पारिश्रमिक रू. 5,00,000/– से कम न हो – – शून्य – –						

टिप्पणीः ऊपर प्रदर्शित पारिश्रमिक में वेतन, भत्ते, किराया, आवकाश नकदीकरण, अवकाश यात्रा सुविधा एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति जा लागू होते हों, शामिल हैं।

ANNEXURE – 1

Particulars of Employees under Sub-Section 2 (A) of Section 217 of the Companies Act, 1956, read with Companies (Particulars of Employees) amendment Rule 2011, and forming part of the Report of the Directors for the year ended 31st March, 2014.

Sl. No.	Name/Age (Years)	Designation/ Nature of Duties	Gross Remuner-ation	Qualification and Experience	Date of Commence-Ment of Employment	Last Employ-ment before joining the Corporation
1	2	3	4	5	6	7
EMPLOYED THROUGHOUT THE FINANCIAL YEAR AND IN RECEIPT OF REMUNERATION OF NOT LESS THAN RS.60,00,000 IN THE AGGREGATE FOR THE YEAR OR EMPLOYED FOR PART OF THE YEAR DRAWING NOT LESS THAN RS.5,00,000 PER MONTH. ----- N I L ------						

Note : Remuneration as above includes Pay, Allowances, Rent, Leave Encashment, Leave Travel Concession and Medical Reimbursement as applicable.

परिशिष्ट–2

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी ग्राहयता एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ई) कम्पनी (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में विवरण प्रकाशन) नियम 1988

(क) ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये उपाय

वर्ष 2013–14 के दौरान 640 किलो वाट ऊर्जा शक्ति के सम्पूर्ण प्रयोग, जो वास्तव में कम है, के साथ निगम ने केवल एक ही पाली चालू करके उच्चतम उल्लेखनीय उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान भार पद्धति एवं मशीनों के यथोचित प्रयोग के मद में हमने ऊर्जा शक्ति के प्रयोग में 0.966 से 0. 982 के अधिक प्रयोग पर बल दिया है। परिणामस्वरूप कम से कम ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करके यथोचित उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा रही है।

(ii) ऊर्जा शक्ति के उपभोग में कमी लाने हेतु लागू किये जा रहे अतिरिक्त विनियोग एवं प्रस्ताव, यदि कोई है

ऊर्जा शक्ति के मद में प्रारम्भिक विनियोग पर अत्यन्त कम लाभ होने के कारण हम उपलब्ध ऊर्जा शक्ति का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की योजना पर केन्द्रित है।

(iii) ऊर्जा की खपत में कमी करने हेतु उपरोक्त (1) और (2) में वर्णित उपायों का प्रभाव तथा परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत पर प्रभाव

(अ) हम उपरोक्त वर्णित उपायों के प्रयोग से यथोचित ऊर्जा शक्ति बचाने में समर्थ हुए हैं।

(ब) वर्ष 2013–14 में प्रति उत्पाद के बनाने में प्रति यूनिट ऊर्जा शक्ति का खर्च 0.00729 पैसे था।

ANNEXURE – II

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO :

Section 217 (1) (E) Of Companies Act, 1956, The Companies Disclosure Of Particulars In The Report Of Board Of Directors Rules, 1988

(A) CONSERVATION OF ENERGY

(i) Energy Conservation Measures taken

The factory operates in only one shift and the highest recorded demand during the year 2013-14 being 640 kwh, total energy consumption is reasonably low. Considering the load pattern and equipment in use during the year we emphasized a proper utilization and a power factor between 0.966 to 0.982. This has resulted in optimal utilization at minimum energy consumption level.

(ii) Additional investment and proposals, if any, being implemented for reduction of consumption of energy

Considering the initial investment on energy consideration measures in comparison to very low gain, we plan to concentrate on most effective use of the available energy only.

(iii) Impact of the measures at (i) & (ii) above for reduction of energy consumption and consequent impact on the cost of the production of goods :

(a) With the implementation of measures indicated above we have been able to save considerable amount of energy.

(b) Cost of energy consumption per unit of production value in the year 2013-14 was 0.00729 Paise.

(iv) सम्पूर्ण ऊर्जा शक्ति का उपभोग

वर्ष 2012–13 में 12,89,090 किलोवाट यूनिट की तुलना में वर्ष 2013–14 में 12,97,990 किलोवाट यूनिट की खपत हुई।

(ख) तकनीकी ग्राहयता

विवरण प्रपत्र 'ब' में उपलब्ध है।

(ग) विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्यय

(i) निर्यात सम्बन्धी क्रियाकलाप

इस विषय को निदेशकों की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

(ii) कुल विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्यय

(अ) विदेशी मुद्रा में अर्जन : रू. 2.41 लाख
निर्यात माल की गणना एफ.ओ.बी. के आधार पर की गई है।

(ब) विदेशी मुद्रा में व्यय

(1) आयात की सीआईएफ कीमत : रू. 56.66 लाख

(2) पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं बिक्री उन्नयन : रू0 शून्य

(iv) Total energy consumption :

12,97,990 KWH units were consumed during the year 2013-14 against 12,89,090 KWH units in the year 2012-13.

(B)TECHNOLOGY ABSORPTION

Details are indicated in Form 'B'.

C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

(i) Activities relating to export

This aspect has been referred in Directors' Report.

(ii)Total foreign exchange used and earned :

(a) Earning in Foreign Exchange : Rs. 2.41 Lacs
Export of Goods Calculated on FOB basis.

(b) Expenditure in Foreign Exchange
(I) CIF value of imports : Rs. 56.66 Lacs

(ii) Books, Periodicals and Sales Promotion. : Rs. NIL

प्रपत्र 'ब'

तकनीकी अवशोषण से सम्बन्धित विस्तृत विवरण का प्रकटीकरण

शोध एवं विकास

1. निगम द्वारा किये जा रहे शोध एवं विकास का विशेष क्षेत्र

निगम में एक अभिकल्प एवं विकास विभाग है जो विकलांगो के लिए कृत्रिम अंग और पुनर्वास उपकरणों में सुधार और विकास कार्य सम्पन्न करता है।

2. उपरोक्त शोध एवं विकास के फलस्वरूप प्राप्त लाभ
विकसित किये गये उत्पादों का विवरण रिपोर्ट में दिया गया है।

3. शोध एवं विकास पर व्यय

(अ) पूँजी	:	रू0 शून्य
(ब) आवर्ती	:	रू0 32.83 लाख
(स) योग	:	रू0 32.83 लाख
(द) अनुसंधान एवं विकास व्यय पर कुल बिक्री का प्रतिशत	:	0.198 प्रतिशत

तकनीकी ग्राहयता, रूपान्तरण और नवीनीकरण

1. तकनीकी ग्राहयता, अंगीकरण और नवीनीकरण पर किये गये उपाय संक्षेप में

नये उत्पादों का विकास, जैसा कि निदेशकों क प्रतिवेदन में उल्लिखित है, प्रगति पर है।

2. उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ
विद्यमान उत्पाद तथा नये उत्पाद के सुधार में एलिम्को का सतत् प्रयास तथा योगदान एलिम्को के विकास में नये उत्पाद जो कि निदेशकों के प्रतिवेदन में उपलब्ध करायी गयी हैं उन विकासों का उद्देश्य उन्नयन तकनीकी तथा नई तकनीकी विश्व स्तर पर लाना है, जिससे जरूरतमंद विकलांगत व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह जाये।

FORM 'B'

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT \ TO TECHNOLOGY ABSORPTION

RESEARCH AND DEVELOPMENT

1. Specific areas in which R&D carried out by the company

Corporation has a Design & Development Department which carries out product improvement and product development in Artificial Limbs and Rehabilitation Aids for the disabled.

2. Benefits derived as a result of the above R & D
Details of products developed have been given in the Directors' Report.

3. Expenditure on R & D

(a)	Capital	:	Rs. NIL
(b)	Recurring	:	Rs. 32.83(Lacs)
(c)	Total	:	Rs. 32.83 (Lacs)
(d)	Total R&D expenditure as percentage of total turnover.	:	0.198%

TECHNOLOGY ABSORPTION, ADAPTATION AND INNOVATION

1. Efforts, in brief, made towards technology absorption, adaptation and innovation

Development of new products as detailed in the Directors' Report is in progress.

2. Benefits derived as a result of the above efforts
The improvement in existing products and development of new products is a continuous process at ALIMCO and efforts are being made by ALIMCO in developing new products as per details provided in Directors' Report. These developments aim at up gradation of technology and bring the same at par with the latest technology advancement at global level so that needy PwDs of our country are not deprived of their right to get the best.

परिशिष्ट–3

कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की टिप्पणी

कम्पनीज अधिनियम 1956 के अनुसार निर्धारित वित्तीय सूचना के निर्धारित प्रारूप के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व निगम के प्रबन्धन का है। पेशेवर संस्था भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार किये गये संवैधानिक अंकेक्षण के आधार पर कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत तैयार किये गये इन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी करने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) में नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक की है। अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 13 जुलाई 2014 में उन्होंने कहा है कि ऐसा कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय लेखों का कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अनुसार पूरक अंकेक्षण किया। यह पूरक अंकेक्षण संवैधानिक अंकेक्षकों के कार्य प्रपत्रों के देखे बगैर किया गया है तथा संवैधानिक अंकेक्षकों की सीमित पूँछताछ एवं कम्पनी के कर्मचारियों तथा कुछ लेखा प्रपत्रों की चयनित परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक अंकेक्षण के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 619 (4) के अन्तर्गत संवैधानिक अंकेक्षक की आख्या पर मेरी जानकारी में जो महत्वपूर्ण नहीं आया है टिप्पणी नहीं की गयी है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की ओर से
(अत्रेयी दास)

मुख्य निदेशक वाणिज्यिक अंकेक्षण
एवं एक्स–आफिशियो सदस्य, अंकेक्षण मण्डल–चतुर्थ
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अगस्त 2014

ANNEXURE – III

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION(619(4) OF THE COMPANIES ACT 1956 ON THE ACCOUNTS OF THE ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2014

The preparation of financial statement of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the year ended 31st March 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statement under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on the independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 13 July 2014.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted supplementary audit under Section 619 (3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statement of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the year ended 31st March 2014. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement the Statutory Auditor's Report under Section 619(4) of the Companies Act,1956.

For and on behalf of the Comptroller
And Auditor General of India

(Atreyee Das)
Director General of Commercial Audit & Ex-Officio
Member, Audit Board-IV

Place : New Delhi
Date : 22 August 2014

परिशिष्ट – 4

प्रबन्धन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1.कम्पनी व उद्योग परिचय

'भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम' कम्पनीज़ ऐक्ट 1956 की धारा 25 (अलाभकारी उद्देश्य) के अन्तर्गत पंजीकृत व ISO 9001 : 2008 प्रमाणित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है तथा जिसे हाल ही में 'मिनी रत्न' से पुरस्कृत किया गया, जिसके शत–प्रतिशत शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास नामित हैं। निगम विगत 4 दशकों से सबसे किफायती व उच्चतम गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों के निर्माण तथा वितरण के श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। अब तक निगम लगभग 42 लाख निशक्तजनों की सेवा कर चुका है।

वर्तमान में निगम द्वारा भारत के 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों तथा 5547 खण्डों, जो लगभग 32.8 लाख किलोमीटर में फैले हैं, में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 2 लाख लाभार्थियों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता प्रमाणित (ISI मार्क सहित) लगभग 4 लाख सहायक उपकरणों, जिनमें अनेक प्रकार की विकलांगता जैसे अस्थि, श्रवणीय, दृष्टिबंधता, मंदबुद्धि आदि में सहायक उपकरण सम्मिलित हैं, के वितरण के माध्यम से सेवा की जा रही है जिनका निर्माण विशाल पैमाने पर एक ही स्थान पर सबसे किफायती मूल्य पर किया जाता है। एलिम्को भारत की एकमात्र कम्पनी है जो कम्पनीज़ ऐक्ट 1956 के धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत होकर अलाभकारी उद्देश्यों के लिए कार्य कर रही है।

ANNEXURE-IV

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1.About the Company and the Industry

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, an ISO 9001:2008, registered under Section 25 (Not for Profit Motive) of Companies Act, 1956, recently awarded "Mini Ratna" status, is working under the administrative control of Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India with 100% Shareholding in the name of Hon'ble President of India. The Corporation has been working for the past 4 dacedes, for the noble cause of manufacturing and distributing various types of most cost effective quality Assistive Devices. Your corporation has served 42 Lakhs Persons with Disabilities so far.

On an average currently the Corporation has been serving around 2 lakh beneficiaries directly and indirectly, by distributing around 400,000 assistive devices, quality certified by Bureau of Indian Standards (with ISI mark),covering various types of disabilities like orthopedically, hearing, visual, intellectual impairments etc. every year, across India in all its 35 states/Union territories down up to 640 districts and 5547 blocks spread across 32.8 Lakhs kilometers, by manufacturing them in mass scale under one roof, at most affordable prices. ALIMCO is only manufacturing Company in the country registered under Section 25 of the Companies Act 1956 working with Non Profit Motive.

2. एलिम्को की उन्नति–एक संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, आपकी कम्पनी ने अब तक का सर्वाधिक रुपये 165.08 करोड़ रुपये का टर्न–ओवर और 31.47 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जो वित्तीय वर्ष 2012–13 के 130.23 करोड़ रुपये के टर्न ओवर तथा 23.51 करोड़ रुपये के लाभ से अधिक था। चूँकि एलिम्को कम्पनीज़ अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है, अतः कोई लाभांश वितरण नहीं होता है। समस्त व्ययों के निस्तारण के बाद अवशेष रुपये 31.47 करोड़ की शुद्ध आय को आरक्षित एवं अतिरिक्त कोष में रखा गया है जिसका उपयोग भविष्य में एलिम्को के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सके।

2. Growth of ALIMCO -an overview

During the Financial year 2013-14 your company clocked highest ever turnover of Rs 165.08 crores as against Rs. 130.23 crores in 2012-13 and a surplus of Rs 31.47 crores as against Rs. 23.51 crores in the year 2012-13. ALIMCO, being Section 25 company of the Companies Act, 1956, no dividend is payable. The excess of income over expenditure amounting to Rs 31.47 crores has been carried forward to the Reserve and Surplus Account for utilization of the same in furtherance of its objectives.

3. क्षमता एवं दोष

(अ) क्षमता :–

(i) भारत की एकमात्र कम्पनी जो कम्पनीज़ ऐक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अन्तर्गत पंजीकृत होकर अलाभकारी उद्देश्यों के लिए कार्य कर रही है.

(ii) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की निशक्तजन सहायता योजना (एडिप) के लिए 1981 से निरन्तर कार्य करने वाला प्रमुख अभिकरण.

(iii) भारत सरकार की योजना सर्व शिक्षा अभियान (एडिप एस.एस.ए.) के अन्तर्गत निशक्तजन सहायता उपलब्ध कराने वाला एकमात्र संस्था।

(iv) भारत के 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों तथा 5547 खण्डों के कुल क्षेत्र लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे विशाल संजाल.

(v) उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध परिदृश्य.

3. Strengths and Weaknesses

(A) Strengths :-

(i) Only manufacturing Corporation registered under Section 25 of the Companies Act 1956 as not for profit making Corporation in the entire country.

(ii) Major implementing agency of the Government of India Scheme “Assistance to Disabled Persons(ADIP)” of Ministry of Social Justice & Empowerment since 1981.

(iii) Sole implementing agency of the Government of India Scheme “Assistance to Disabled Persons under Sarva Shiksha Abhiyan (ADIP-SSA)”.

(iv) Widest network covering 35 states/union territories down up to 640 districts and 5547 blocks spread across 32.8 Lakhs million kilometers

(v) Good industrial relations scenario

(ब) दोष :–

(i) 41 वर्ष पुराना निगम जिसको आधुनिकरण करने की आवश्यकता है.

(ii) सम्पूर्ण उद्यम एवं संयंत्र, आधारभूत सुविधाएं, सहायक सेवाएं, भवन इत्यादि 30 से 35 वर्ष पुराने हो गये है और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सभी सुविधाओं के पुनर्नवीनीकरण, पुनर्निमाण, बदलाव और मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है जिसके अभाव में निगम का कार्य अवरुद्ध हो सकता है.

(iii) गत 39 वर्षों से निगम घाटे में चल रहा था जिसका लाभ ऋणात्मक रहा था. अब निगम ने लाभ अर्जित करना प्रारम्भ किया है और सभी प्रकार के घाटों से उबर कर अपने लाभ को ऋणात्मक के स्थान पर धनात्मक कर लिया है। फिर भी निगम को आधुनिकीकरण के लिए मंत्रालय से अनुमानित रुपये 200 करोड़ की त्वरित वित्तीय सहायता प्राप्त करने की महती आवश्यकता है.

(iv) तकनीक के पुराना होने के कारण उत्पादों की गुणवत्ता भी पुरानी हो चली है.

(v) शोध एवं विकास इकाई पूर्णतया जर्जर हो चुकी है.

(vi) इस वर्ष भविष्य के लिए कोई नई उत्तराधिकार योजना नहीं हैं.

(vii) निदेशक मण्डल में अद्यतन मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई.

4. अवसर एवं चुनौतियां

(i) तकनीकी रूप से उत्पादों के आधुनिकीकरण या उनमें सुधार होने पर उनके विपणन की अपार सम्भावनाएं हैं.

(ii) व्यवसाय जगत से 'आर्थिक सामाजिक कर्तव्य' आधारित व्यापार की असीमित सम्भावनाएं हैं.

(iii) निर्यात बाज़ार की ओर उन्मुख होना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छी सम्भावनाएं हैं.

(B) Weaknesses :-

(i) 41 years old Corporation need to be Modernized.

(ii) Total Plant & Machinery, infrastructure facilities, Auxiliary services, building etc. are 30 to 35 years old need to be. renovated / retrofitted / refurbished / replaced with latest modernized technologically advanced facilities, failing which the entire Corporation may come to stand still.

(iii) The Corporation was running under accumulated losses in the first 39 years of the Corporation having a negative net worth. The Corporation has now made a Turnaround in the last two years by wiping off all accumulated losses and converting its negative net worth into positive net worth. However the Corporation needs Ministry's Support for release of modernization grant approx to the tune of Rs 200 crores Immediately.

(iv) Out dated technology due to which products are outdated.

(v) R&D set up is totally dismantled in the Corporation.

(vi) There is no succession plan in the corporation for years.

(vii) No induction of Independent Director on the Board till date by the Ministry.

4. Opportunities and Threats

(i) Lot of scope available for marketing the product provided the products are Technologically advanced/improved.

(ii) Huge scope of CSR business from corporate Sectors.

(iii) Explore the export market as there is good potential.

5. कॉर्पोरेट जगत के आर्थिक–सामाजिक कर्तव्यों का साझीदार ALIMCO

निगम ने सभी लाभार्जक कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर इकाइयों से सम्पर्क करने प्रारम्भ कर दिये हैं और प्रयासरत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यम एलिम्को के माध्यम व सहायता से अपने आर्थिक–सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु निशक्तजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करायें।

गत वर्ष निगम ने दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को ओ.एन.जी.सी के आर्थिक–सामाजिक सहयोग के प्रथम चरण में 25 करोड़ रुपये मूल्य का तथा इस वर्ष 31 जनवरी 2014 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (RECL) के साथ आर्थिक–सामाजिक सहयोग के लिए 3.50 करोड़ रुपये मूल्य के द्विपक्षीय समझौते किये जिनके उद्देश्य समस्त भारत में निशक्तजनों एवं अन्य प्रकार से विकलांग लोगों, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, को आवश्यक सहायक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

5. ALIMCO as CSR Implementation partner of corporate sector.

The corporation has taken initiative and has started approaching all profit making CPSUs to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to PwD's.

During the year your Corporation signed MOU on 10.12.2013 with Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) agreement valuing Rs.25 crore for 1st Phase of ONGC's CSR initiative and on 31st January 2014 signed MOU agreement valuing Rs.3.50 crore for RECL's CSR initiative for the purpose of providing Aids and Assistive devices to Persons with Disabilities (PwDs) and other differently able population including children with special needs on Pan India basis.

इस अवसर पर ले.कर्नल (से.नि.) पी.के. दुबे, महाप्रबन्धक विपणन एलिम्को, श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, महाप्रबन्धक सी.एस.आर. ओ.एन.जी.सी., उपस्थित रहे। अन्य गणमान्य लोगों एवं उपस्थित अधिकारियों में श्री एम.एस. रे, महाप्रबन्धक वित्त फाइनैन्स, एलिम्को, श्री आर.के. माथुर, वरिष्ठ प्रबन्धक, श्री राजेश के.वी., उपप्रबन्धक विपणन एलिम्को तथा ओ.एन.जी.सी, मुख्यालय से श्री मोनू भटनागर, मुख्य केमिस्ट एवं कु. स्वाति आदि प्रमुख थे।

Lt. Col (Retd.) P.K Dube, GM, Mktg. ALIMCO and Shri Prakash Chandra Agrawal, GM, CSR, ONGC. Also present on the occasion were Shri M.S Ray, GM, Finance, ALIMCO, Shri R.K Mathur, Sr.Manager and Shri Rajesh K.V, Dy. Manager, Marketing from ALIMCO and Shri Monu Bhatnagar, Chief Chemist & Ms Swati alongwith gentry of officials from ONGC headquarter.

समझौते पर एलिम्को की ओर से महाप्रबन्धक ले.कर्नल (से. नि.) पी.के. दुबे तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री राजीव शर्मा और श्री अजीत अग्रवाल निदेशक वित्त आर.ई.सी.एल. के साथ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री जी. नारायण राव की उपस्थिति में श्री पी.जे. ठक्कर, निदेशक (तकनीकी) द्वारा हस्ताक्षरित किये गये। इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निशक्तजन मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव श्री अवनीश अवस्थी (आई.ए.एस.) भी उपस्थित रहे।

Agreement was signed by Lt. Col (Retd.) P K Dube, GM, ALIMCO on behalf of ALIMCO and Shri P.J. Thakkar, Director(Technical), RECL in the presence of Shri Rajeev Sharma, CMD, RECL, Shri Ajeet Agarwal, Director(Finance) and Shri G Narayan Rao, CMD , ALIMCO. Shri Awanish Awasthi, IAS, Joint Secretary, Department of Disability affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment was present to grace the occasion.

6.समझौते के उद्देश्य बनाम उपलब्धियां (2013–14)

स्वमूल्यांकन एवं समीक्षा के आधार पर समझोते के सभी उद्देश्य पूर्ण करने में सफलता प्राप्त हुई। आपकी कम्पनी ने एक बार पुनः अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के अनुपालन में उच्च श्रेणी प्राप्त की।

6. MOU TARGET Vs ACHIEVEMENTS (2013-14)

All the MoU targets under excellent category have been achieved during the year under review based on self appraisal, Your company has once again delivered a record performance and achieved Excellent rating and also once again maintaining an Excellent rating in compliance of Corporate Governance.

7.भविष्य पर दृष्टि

निगम का विश्वास है कि यह वर्ष दर वर्ष उन्नति के नये सोपानों पर चढ़ता रहेगा।

7. FUTURE OUTLOOK

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new height year by year.

परिशिष्ट–5

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशा निर्देशों पर कम्पनी का दर्शन

एलिम्को इस विचारधारा पर कार्य करता है कि अपने संचालन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करके निगम अपने अंशधारकों एवं सम्बन्धित हितधारकों के हितों की रक्षा कर सकेगा और इसी के साथ अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों का पालन भी कर सकेगा।

2. निदेशक मण्डल

दिनांक 31.03.2014 को आपके निगम का निदेशक मण्डल की श्रेणी एवं संरचना निम्नवत है–

(i) श्री जी. नारायण राव : अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक — कार्यकारी निदेशक

(ii) श्री योगेन्द्र त्रिपाठी आई.ए.एस : संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार — सरकार द्वारा नामित

(iii) श्री अवनीश कुमार अवस्थी : आई.ए.एस. संयुक्त सचिव विकलांगता मामलों के विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार — सरकार द्वारा नामित

ANNEXURE -V

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on guidelines on Corporate Governance

ALIMCO works on the philosophy that by following the guidelines in its functioning, the Corporation would protect the interest of shareholders and relevant stakeholders and also it would bring more transparency and accountability in its functioning.

2. Board of Directors

The composition and category of Board of Directors of your Corporation as on 31.03.14 is as under :

i) Shri G. Narayan Rao Chairman & Managing Director : Functional Director

ii) Shri Yogendra Tripathi, IAS : (JS & FA) Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI — Government Nominee

iii) Shri Awanish Kumar Awasthi IAS : Joint Secretary, Dept. of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI — Government Nominee

3. निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सम्पन्न हुई मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	2013–14 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी. नारायण राव	5	5
2.	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी	4	4
3.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी	4	4

3. Attendance of Directors at the Board Meetings

The particular regarding attendance of Directors at Board Meetings held during the financial year 2013-14 is as follows:-

Sl. No.	Name of Directors	No. of Board Meetings held during 2013-14	No. of Board Meetings attended
1.	Shri G. Narayan Rao	5	5
2.	Shri Yogendra Tripathi	4	4
3.	Shri Awanish Kumar Awasthi	4	4

4. वित्तीय वर्ष में निदेशकों में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2013–14 में निदेशक मण्डल में निदेशकों के परिवर्तन का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	अवधि	
		कब से	कब तक
1.	सन्यासी प्रधान, उपसचिव (आई.एफ.डी.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	31.01.2013	23.05.2013
2.	जगदीश कुमार, उपसचिव (एन.आई.) विकलांगता कार्य विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	31.01.2013	23.05.2013
3.	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	23.05.2013	–
4.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव विकलांगता कार्य विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	23.05.2013	–

4. Director- Changes during Financial Year

During the financial year 2013-14, following changes had taken place in the Board of Directors of the Corporation

Sl No.	Name of Directors	Tenure	
		From	To
1.	Sanyasi Pradhan Deputy Secretary (IFD) Ministry of Social Justice & Empowerment	31.01.2013	23.05.2013
2.	Jagdish Kumar Deputy Secretary (NI), Dept. of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment	31.01.2013	23.05.2013
3.	Shri Yogendra Tripathi, IAS Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Social Justice & Empowerment	23.05.2013	–
4.	Shri Awanish Kumar Awasthi, IAS, Joint Secretary, Dept. of Disability Affairs Ministry of Social Justice & Empowerment	23.05.2013	–

5. अन्य मण्डलों या मण्डल समितियों की सदस्यता

i) श्री जी. नारायण राव पदेन रूप से राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (NHFDC) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (NIOH), स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (SVNIRTAR) एवं डॉ. अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप्ड, यू.पी. के सदस्य हैं।

ii) श्री योगेन्द्र त्रिपाठी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) एवं नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेन्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (NHFDC) के अतिरिक्त अन्य किसी मण्डल अथवा मण्डल समितियों के सदस्य नहीं हैं।

iii) श्री अवनीश कुमार अवस्थी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) एवं नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेन्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (NHFDC) के अतिरिक्त अन्य किसी मण्डल अथवा मण्डल समितियों के

5. Membership of other Boards or Board Committees

i) Shri G. Narayan Rao is the Member Ex-officio on the Boards of National Handicapped Finance Development Corporation (NHFDC), National Institute for Orthopedically Handicapped (NIOH), Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation, Training and Research (SVNIRTAR) and Dr. Ambedkar Institute of Technology for Handicapped, U.P.

ii) Shri Yogendra Tripathi is not Member of any Board or Board Committees Except Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) and National Handicaped Finanace Development Corporation of India (NHFDC)

iii) Shri Awanish Kumar Awasthi is not Member of any Board or Board Committees Except Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) and National Handicaped Finanace Development Corporation of India (NHFDC)

1.6 मण्डल की बैठकें कितनी और कब सम्पन्न हुई

धारा 285 के अन्तर्गत, निदेशक मण्डल की बैठक प्रति तिमाही न्यूनतम एक बार और चार बैठकें प्रतिवर्ष होनी चाहिए। किन्तु धारा 25 के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों के निदेशक मण्डल की एक बैठक प्रति छमाही होनी चाहिए। (अधिसूचना संख्या SO 1578 दिनांक 01.07.1968 के अनुसार) धारा 285 के शेष नियम धारा 25 के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों पर अन्य कम्पनियों की भाँति ही लागू होंगे, अतः धारा 25 के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को निदेशक मण्डल की बैठक प्रति छः माह में केवल एक ही बार होने का प्रावधान है।

वर्ष 2013–14 में निदेशक मण्डल की पाँच बैठकें दिनांक 15 मई 2013, 24 जून 2013, 17 सितम्बर 2013, 23 जनवरी 2014 तथा 24 मार्च 2014 को सम्पन्न हुई थीं।

1.6 No. of Board Meetings held, dates on which held

Under Section 285, the meeting of Board of Directors should be held at least once in every three months and four meetings should be held in a year. However, Sec. 25 companies are required to hold meetings of Board of Directors only once in every six months (vide Notification No. SO 1578 dated 01.07.1968). The rest of the Section 285 will apply to Section 25 companies as it is, therefore Section 25 companies are allowed to hold Board Meetings only once in six month.

During the year 2013-14, Five Board meetings were held on 15th May, 2013, 24th June, 2013, 17th September, 2013, 23rd January 2014, 24th March 2014.

7. सम्परीक्षक समिति

एलिम्को ,स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत है ताकि लेखा समिति का गठन हो सके। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में लम्बित है।

8. पारिश्रमिक समिति

एलिम्को स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत है ताकि भुगतान समिति का गठन हो सके। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में लम्बित है।

9. वार्षिक साधारण सभा की बैठकें

(1) वार्षिक साधारण सभा की पिछली तीन बैठकों की तिथि, समय एवं आयोजन स्थल

(क) 40th वार्षिक साधारण सभा 17 सितम्बर 2013 को नई दिल्ली में पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न हुई।

(ख) 39th वार्षिक साधारण सभा 28 अगस्त 2012 को नई दिल्ली में पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न हुई।

(ग) 38th वार्षिक साधारण सभा 20 दिसम्बर 2011 को नई दिल्ली में पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न हुई। (अन्य सरकारी अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने/स्थानान्तरण के कारण, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से 31 दिसम्बर 2011 से पूर्व वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की अनुमति मांगी गयी थी। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी).

(2) कोई विशेष प्रस्ताव विगत तीन बैठकों में नहीं पारित किये गये।

7. Audit Committee

ALIMCO is waiting for appointment of Independent Directors so that Audit Committee is constituted. Induction of Independent Directors on the Board is pending with the Ministry of Social Justice and Empowerment.

8. Remuneration Committee

ALIMCO is waiting for appointment of Independent Directors so that Remuneration Committee is constituted. Matter of induction of Independent Directors on the Board is pending with the Ministry of Social Justice and Empowerment.

9. General Body Meetings

(1) Date, Time and Venue of the last three AGMs :

(a) 40th AGM held on 17th September 2013 at 1100 Hrs at New Delhi

(b) 39th AGM held on 28 Aug 2012 at 1100 Hrs at New Delhi

(c) 38th AGM held on 20 Dec 2011 at 1100 Hrs at New Delhi (Due to retirement/ transfer of other government officials, permission was sought from Ministry of Corporate Affairs to hold the AGM by 31 Dec 2011. Permission was granted by Ministry of Corporate Affairs).

(2) No special resolutions were passed in the previous three AGMs.

10. उद्घोषणाएं

निदेशकों के 'उत्तरदायित्व की घोषणा' में घोषित सूचनाओं के अतिरिक्त, विशेष लेखा नीतियों एवं बैलेन्स शीट के भागों में अन्य यथोचित उद्घोषणाएं की गई हैं।

10. Disclosures

Apart from the disclosures covered in Directors' Responsibility Statement, suitable disclosures are also made in the significant accounting policies and notes to accounts forming part of the Balance Sheet.

11. व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी

व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी की रचना की गयी है और इसे निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

11. Whistle Blower Policy

Whistle Blower Policy has been formulated and posted on the website of the Corporation.

12. संवाद के माध्यम

कम्पनी की 100 प्रतिशत पूंजी भारत सरकार के पास रहती है। कम्पनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य सम्बन्धित सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करती है।

12. Means of Communication

The Government of India holds 100% of the paid up share capital of the Company. The Company displays Annual Report on its website together with other important information pertaining to the Company.

13. निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिशासी अधिकारियों के लिए आचार संहिता

डी.पी.ई. द्वारा जारी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों जोकि सार्वजनिक उपकर्मों में लागू निगमित शासन 2010 के अर्न्तगत है को कम्पनी ने अपने निदेशकों एवं उच्च अधिकारियों के सन्दर्भ में अपनाया है। आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों तो कम्पनी की वेबसाइटर पर भी प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष 2013–14 की अवधि में आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में घोषणा की है।

13. Code of Conduct For Directors And Senior Executives

The Code of Conduct and Business Ethics as suggested by DPE in its Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010 has been adopted by the Company in respect of its Directors and Senior Level Executives. The Code has also been posted on the Company's Website. The Directors and the Senior Executives have given declarations affirming the compliance with the code of conduct during the year 2013-14.

14. चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक की घोषणा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए डी. पी. ई. द्वारा जारी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों–"Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010" के दिशा निर्देशों– DPE OM No. 18(8)/2005-GM, दिनांक 14 मई 2010 में जैसा कि वर्णित है, निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धनकारियों द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान व्यवसाय सम्बन्धी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों के अनुपालन करने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी है।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के लिए
ह0

जी. नारायण राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 20 अगस्त 2014

14. Declaration By Chairman And Managing Director

As provided under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs as contained in the DPE OM No. 18(8)/2005-GM, dated 14 May 2010, issued by Department of Public Enterprises (DPE), it is hereby declared that all Board Members and Senior Management Personnel affirmed compliance with "The Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India" for the year ended 31 March 2014.

For Artificial Limbs Manufacturing
Corporation of India

Sd/-
G Narayan Rao
Chairman & Managing Director

Date : 20 August 2014

परिशिष्ट–6

एस.के. गुप्ता एण्ड कं०
कम्पनी सचिव
9, रोलेन्ड काम्पलेक्स, अपर फ्लोर, 37/7 वेस्टकोट बिल्डिंग, दि माल,
कानपुर–208001, फोन : (का.) 2315123 (फैक्स) 2366642 सेल : 9415042137
ई–मेल : sk_gupta1@rediffmail.com

निगमित अभिशासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर– 209217

हमने भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए निगमित अभिशासन हेतु जारी मार्ग निर्देशिकायें 2010 में अनुबन्ध शर्तों जो अनुलग्नक में दर्शाया गया है के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया गया है।

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का होता है। हमारा परीक्षण उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश में अनुबद्ध निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अपनायी गयी प्रकियाओं तथा उनके कियान्वयन तक सीमित था। यह ना तो निगम के वित्तीय विवरण पर हमारा मत है न ही लेखा परीक्षा है।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी व स्पष्टीकरण के आधार पर हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते है। निगम द्वारा उल्लिखित मार्गनिर्देशिकाओं में अनुबद्धनैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, सिवाय सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किये जाने के कारण, निदेशक मण्डल, लेखा समिति तथा पारिश्रमिक समिति गठन तथा जोखिम प्रबन्धन योजना तथा बोर्ड चाटर का प्राविधान नहीं किया गया है।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता न ही आश्वासन है और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता है जिससे प्रबन्ध समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है।

कृते **एस.के. गुप्ता एण्ड कं0**
कम्पनी सचिव

ह0/–
(एस.के. गुप्ता)
मैनेजिंग पार्टनर
सी.पी. नं0 1920

स्थान : कानपुर
दिनांकः 07.07.2014

ANNEXURE -VI

S.K. GUPTA & CO.
Company Secretaries
9, Roland Complex, Upper Floor, 37/7, Westcott Building,
The Mall, Kanpur - 208001
Phone : (O) 2315123, (F) 2366642, Cell : 9415042137
E-mail : sk_gupta1@rediffmail.com

Corporate Government Certificate

To.
The Members of
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
G.T. Road,Kanpur - 209217

We have examined the compliance of the conditions of the corporate Governance by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the Financial Year ended 31st March 2014 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India (hereinafter referred to as DPE Guidelines) and annexure mentioned there under.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to review of the procedures and implementation Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines. It is neither audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines except the provision regarding Composition of Board of Directors. Constitution of Audit Committee and Remuneration Committee due to non-appointment of requisite number of Independent Directors by the Government of India, formulation of Risk Management Policy and Board Charter.

We state the such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficiency of effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For **S.K. GUPTA & CO.**
Company Secretaries

Sd/-
(S.K. GUPTA)
Managing Partner
C.P. No. 1920

Place : Kanpur
Date : 07-07-2014

परिशिष्ट–7

एस.के. गुप्ता एण्ड कं०

कम्पनी सचिव
9, रोलेन्ड काम्पलेक्स, अपर फ्लोर,
37/7 वेस्टकोट बिल्डिंग, दि माल,
कानपुर–208001, फोन : (का.) 2315123
(फैक्स) 2366642 सेल : 9415042137
ई–मेल : sk_gupta1@rediffmail.com

अनुवृत्ति प्रमाण पत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383–ए के तहत

सीआईएन : U85110UP1972GOI003646
आंशिक पूँजी रू0 : 30000000/-

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर– 208016

हमने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण के वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च 2014 को समाप्त हुआ है, के रजिस्टर, अभिलेख, किताबें एवं कागज़ात, जिनका कम्पनी अधिनियम 1956 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं कम्पनी के मेमोरेण्डम एण्ड आटिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार रख रखाव आवश्यक हैं, का निरीक्षण किया। हमारी राय में तथा हमारे द्वारा किये गये परीक्षण एवं कम्पनी तथा इसके अधिकरियों एंव एजेण्टों द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि :

1. जैसा कि इस प्रमाण पत्र के अनुबन्ध 'ए' में कहा गया है, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्राविधानों एवं इसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्टरों को बनाया है। एवं उनमें प्रविष्टियाँ की हैं।

2. जैसा कि इस प्रमाण पत्र के अनुबन्ध 'बी' में कहा गया है, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों एवं इसके तहत बनाये गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कम्पीज़, उत्तर प्रदेश, निदेशक, केन्द्रीय सरकार तथा अन्य अधिकारियों के पास फार्म और रिटर्न दाखिल किये हैं।

3. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस धारक तथा कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 617 के अर्थ में कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है तथा यह कम्पनी अधिनियम 1956 के विविध प्रावधानों के तहत छूट और विशेषाधिकार

ANNEXURE -VII

S.K. GUPTA & CO.

Company Secretaries
9, Roland Complex, Upper Floor,
37/7, Westcott Building,
The Mall, Kanpur - 208001
Phone : (O) 2315123
(F) 2366642, Cell : 9415042137
E-mail : sk_gupta1@rediffmail.com

Compliance Certificate

Pursuant to section 383A of company Act. 1956

CIN : U85110UP1972GOI003646
Nominal Capital : Rs. 3,00,00,000/-

To.
The Members of
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
G.T. Road, KANPUR - 208016

We have examined the registers, records, books and papers of **ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA** ("The Company") as required to be maintained under the Companies Act, 1956 (the Act") and the Rules made thereunder and also the provisions contained in Memorandum and Articles of Association of the Company for the financial year ended on 31st March, 2014. In our opinion and according to the examinations carried out by us and explanations furnished to us by the Company, its officers and agents and to the best of our knowledge and belief, we certify that in respect of the aforesaid financial year:

1. The Company has kept and maintained the registers as stated in Annexure 'A' to this Certificate, as per t provisions of the Companies Act, 1956 and the Rules made thereunder and entries therein have been duly recorded.

2. The Company has filed the forms and returns as stated in Annexure 'B' to this Certificate with the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Regional Director, Central Government and other Authorities under the Companies Act, 1956 and the Rules made thereunder.

3. The Company is a Government Company within the meaning of Section 617 of the Companies

के लिए हकदार हैं। इस निजि संस्था के पास 31 मार्च 2014 को रू0 1,96,50,000/– की चुकता पूँजी है। 31 मार्च 2014 की समाप्ति पर वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़ कर इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 थी तथा समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने :

(क) शेयर और डिबेंचर्स बांटने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया ।

(ख) इसके सदस्यों, निदेशकों, और उनके रिश्तेदारों सहित व्यक्तियों द्वारा कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया गया।

4. वर्ष के दौरान हुई समीक्षा के तहत कम्पनी के निदेशक मण्डल ने 15 मई, 2013, 24 जून, 2013, 17 सितम्बर, 2013, 23 जनवरी, 2014 तथा 23 मार्च, 2014 को 5 बार बैठक की जिसकी सूचना दी गई और इस प्रयोजन के लिये कार्यवृत्त विवरण पुस्तक को हस्ताक्षरित कराया गया तथा उचि कार्यवाही दर्ज करायी थी, जिसमें परिपत्र प्रस्ताव भी शामिल थे।

5. समीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने सदस्यों के रजिस्टरों को बन्द नहीं किया है। चूँकि कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है, इसलिए धारकों के रजिस्टर के बन्द होने का कोई सवाल नहीं है।

6. कम्पनी के सदस्यों को सूचना देने के बाद 31 मार्च 2013 के समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक आम सभा 17 सितम्बर, 2013 को आयोजित की गयी तथा मीटिंग में पारित किये गये प्रस्तावों को मिनिट्स पुस्तिका में लिखा था।

7. वित्तीय वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

8. चूँकि कम्पनी एक सरकारी कम्पनी होते हुए भी निजि कम्पनी का स्तर राती है अतः कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 295 के प्रावधान इस पर लागू नहीं है।

9. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 297 के दायरों में आने वाला कोई भी अनुबन्ध दर्ज नहीं किया है।

Act, 1956 holding License under Section 25 of the Companies Act, 1956 and is entitled to exemptions and privileges under various provisions of the Companies Act 1956. It being a private Company has the paid - up Capital Rs. 1,96,50,000/- Rupees One Crore Ninety Lacs and Fifty Thousand Only) as on 31st March 2014 and its maximum number of Members during the said financial year was 4 (Four) excluding present and post employees and the Company during the year under review:-

a) Has not invited public to subscribe for its shares or debentures; and

b) Has not invited or accepted any deposits from persons including its Members, Directors or their Relatives.

4. During the year under review, the Board of Directors of the Company duly met 5 (Five) times on 15 May 2013, 24 June, 2013, 17 Sept. 2013, 23 January 2014 and 23 March 2014 in respect of which Meetings, proper notices were given and the proceedings were properly recorded and signed including the circular resolutions passed in the Minutes Book maintained for the purpose.

5. The company has not closed its register of members during the financial year under review. As the Company has not issued any Debentures, there is no question of closure of Register of Debenture holders.

6. The Annual General Meeting for the Financial Year ended on 31st March, 2013 was held on 17th Sept. 2013 after given due notice to the members of the Company and the relsoutions passed thereat were duly recorded in Minutes Book maintained for this purpose.

7. No Extra Ordinary General Meeting was held during the financial year.

8. The Company being a Government Company having status of a Private Company, the provisions of Section 295 of the Companies Act, 1956 are not applicable.

9. The Company has not entered into any contracts falling within the purview of Section 297 of the Companies Act, 1956 during the financial year.

10. कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है जो कि कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है, कम्पनीज अधिनियम की धारा 297(1) व (3) के अन्तर्गत कोई भी लेनदेन नहीं है। अतः कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 301(3) के अन्तर्गत रखी गई पुस्तिका में समीक्षा वर्ष में कोई पविष्टि करने की आवश्यकता नहीं थी।

11. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 314 के दायरे में आने वाला कोई मामला नहीं था। अतः कम्पनी को निदेशक मण्डल, सदस्य या केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

12. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयर प्रमाण पत्र की कोई अनुकृति जारी नहीं की है।

13. कम्पनी ने :–

(i) प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिये तत्सम्बन्धी खेमों पर सभी प्रमाण पत्र भेजे गये। जाँच के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान वहाँ प्रतिभूति का कोई पारगमन और आवंटन नहीं था।

(ii) समीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश/अंतरिम लाभांश की घोषणा नहीं की गई।

(iii) कोई भी न मागे गए और न दिये गये लाभांश, बकाये के भुगतान हेत आवेदन, परिपक्व जमा, परिपक्व ऋणपत्र और इस पर उपर्जित ब्याज नहीं है जो कि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष एवं सीनांतरित हो जाना चाहिये था।

(iv) कम्पनी ने अधिनियम 1956 की धारा 217 के प्रावधानों का पूरा अनुसरण किया है।

14. कम्पनी का निदेशक मण्डल विधिवत गठित है तथा निदेशकों की नियुक्ति में अधिनियम के प्रावानों का अनुपालन किया गया है।

15. कम्पनी एक सरकार कम्पनी होते हुए भी एक निजी कम्पनी का स्तर रखती है। यह अधिनियम की अनुसूची 13 से धारा 269 के प्रावानों के दायरें में नहीं आती है।

16. कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है अतः उस पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 294 और 294 एए के प्रावान जो कि एकांकी बिक्री प्रतिनिधयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होते हैं।

10. The Company being a Government Company holding Ucense under Section 25 of the Companies Act. 1956, there were no transactions falling within the purview of Section 297 (1) and (3) of the Companies Act, 1956 as such, the entnes In the Register maintained under Section 301(3) of the Companies Act. 1956 were not required to be made during the year under review.

11. As there were no instances falling within the purview of Section 314 of the Companies Act, 1956, the Company was not required to obtain any approval from the Board of Directors. Members or Central Government, as the case may be.

12. The Company has not issued any duplicate Share Certificate during the Financial Year.

13. The Company has:

(i) Delivered all the Certificates on lodgement thereof for Transfer of Securities. There was no Allotment and Transmission of Secunties during the financial year under scrutiny.

(Ii) Not declared any dividend 1 interim dividend during the financial year under review.

(iii) No unpaid dividend, application money due for refund, matured deposits, matured debentures and interest accrued thereon remaining unclaimed or unpaid requiring transfer to Investor Education and Protection Fund.

(iv) Duly compiled with the requirements of Section 217 of the Companies Act, 1956.

14. The Board of Directors of the Company is duly constituted and the appointment of Directors have been made in compliance with the provisions of the Act.

15. The Company being a Government Company having status of a Private Company does not come under the purview of provisions of Section 269 read with Schedule XIII to the Act.

16. The Company being a Government Company, the provisions of Section 294 and 294 AA of the Companies Act, 1956 relating to appointment of Sole Selling Agents are not applicable.

17. वित्तीय वर्ष में निगम को भारत सरकार, कम्पनी लॉ बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार आदि तथा अन्य धिकारीगणों से, जोकि विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत हों, से कोई भी स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

18. कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है जो कि कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत है। कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 297(1) व (3) के अंतर्गत कोई भी लेनदेन नहीं है, अतः निदेशकों को धारा 99 के अन्तर्गत किस भी अन्य फर्म/कम्पनीज में निहित अपने स्वार्थ को बताने की आवश्यकता नहीं थी।

19. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की हैं।

20. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई शेयर वापस नहीं खरीदा था।

21. कम्पनी ने कोई प्रतिदेय प्राथमिक शेयर/डिबेंचर जारी नहीं किया है।

22. ऐसे कोई भी लेनदेन नहीं थे जो कि शेयरों के स्थानान्तरण के विचाराधीन ोने के कारण लाभांश, अधिकारिक शेयर तथा बोनस शेयर की देयता को स्थगित रखने हेतु कम्पनी द्वारा आवश्यक थे।

23. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए के दायरों में आने वाले कोई भी जमा व असुरक्षित ऋण स्वीकार/आमंत्रित नहीं किए हैं।

24. कम्पनी एक सरकारी कम्पनी होते हुए भी निजी कम्पनी का स्तर रखती है अतः वर्ष के दौरान लिए गए ऋण अधिनियम की धारा 293(1) (डी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं।

25. कम्पनी एक सरकारी कम्पनी होते हुए भी निजी कम्पनी का स्तर रखती है अतः कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 372 ए के प्रावधान जो कि इण्टर कारपोरेट इनवेस्टमेन्ट, ऋण एवं गारन्ट के सम्बन्ध में है, लागू नहीं है।

26. वर्ष के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थिति को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के सम्बन्ध में मेमोरेण्डम के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

17. The Company was not required to obtain any approvals of the Registrar of the Companies, Regional Director and I or such other authorities prescribed under the various provisions of the Companies Act, 1956 during the financial year under scrutiny.

18. The Company being a Government Company holding License under Section 25 of the Companies Act, 1956 and there being no transactions falling within the purview of Section 297 (1) and (3) of the Companies Act, 1956 as such, the Directors were not required to disclose their interest in other firms I Companies to the Board of Directors pursuant to provisions of Section 299 the Companies Act, 1956.

19. The Company has not issued any shares. Debentures or other Securities during the financial year.

20. The Company has not bought back any Shares during the Financial year.

21. The Company has not issued any Redeemable Preference Shares I Debentures.

22. There were no transactions necessitating the Company to keep in abeyance the rights to dividend. Rights Shares and Bonus Shares pending registration of transfer of Shares.

23. The Company has not invited/accepted any deposits including any unsecured loans falling within the purview of Section 58 A of the Companies Act, 1956 during the financial year.

24. The Company being a Government Company having status of a Private Company, the borrowings made during the year do not attract provisions of Section 293 (1) (d) of the Act.

25. The Company being a Government Company having status of a Private Company, the provisions of Section 372 A of the Companies Act, 1956 with regard to I Corporate Investments. Loans and Guarantees not applicable. More so the Company has not entered in to any such transactions during the year.

26. The Company has not altered the provisions of the Memorandum with respect to situation of Company's Registered Office from one State to another during the year.

27. वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में मेमोरेण्डम के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

28. वर्ष के दौरान कम्पनी के नाम के सम्बन्ध में मेमोरेण्डम के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

29. वर्ष के दौरान कम्पनी की शेयर पूंजी के सम्बन्ध में मेमोरण्डम के प्रावधानो में कोई बदलाव नहीं किया है।

30. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन में कोई बदलाव नहीं किया है।

31. कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आने वाले अपरोधों के लिए वित्तीय वर्ष में कम्पनी को न तो कोई कारण बताओ नोटिस मिला, न ही कोई अभियोजन ला तथा न ही कोई जुर्माना लगा।

32. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी को अपने कर्मचारियों से प्रतिभूतियों के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

33. कम्पनी ने कर्मचारियों तथा नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान अधिनियम में वर्णित प्राधिकारी के पास जमा कर दिया है।

कृते **एस.के. गुप्ता एण्ड कं0**
कम्पनी सचिव

ह0 / –
(एस.के. गुप्ता)
मैनेजिंग पार्टनर
सी.पी. नं0 1920

स्थान : कानपुर
दिनांक: 30.06.2014

27, The Company has not altered the provisions of the Memorandum with respect to the Objects of the Company during the period under review.

28. The Company has not altered the provisions of the Memorandum with respect to name of the Company during the year.

29. The Company has not altered the provisions of the Memorandum with respect to Share Capital of the Company during the year under scrutiny,

30. The Company has not altered its Articles of Association during the financial year.

31. There was no prosecution initiated against or show cause notices received by the Company and no fines or penalties or any other punishment was imposed on the Company during the Financial Year for offences under the Companies Act, 1956.

32. The Company has not received any money as security from its employees during the financial year.

33. The Company has deposited both Employee's and Employer's Contribution to Provident Fund with prescribed Authorities pursuant to Section 418 of the Act.

For **S.K. GUPTA & CO.**
Company Secretaries

Sd/-
(S.K. GUPTA)
Managing Partner
C.P. No. 1920

Place : Kanpur
Date : 30-06-2014

एस.के. गुप्ता एण्ड कं०

कम्पनी सचिव

9, रोलेन्ड काम्पलेक्स, अपर फ्लोर,
37/7 वेस्टकोट बिल्डिंग, दि माल,
कानपुर–208001, फोन : (का.) 2315123
(फैक्स) 2366642 सेल : 9415042137
ई–मेल : sk_gupta1@rediffmail.com

S.K. GUPTA & CO.

Company Secretaries

9, Roland Complex, Upper Floor,
37/7, Westcott Building,
The Mall, Kanpur - 208001
Phone : (O) 2315123
(F) 2366642, Cell : 9415042137
E-mail : sk_gupta1@rediffmail.com

परिशिष्ट 'अ'

कम्पनी द्वारा बनाये गये रजिस्टर

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 150 के तहत सदस्यों का रजिस्टर।
2. कम्पनी अधिनिम 1956 की धारा 307 के तहत निदेशकों की अंशधारक का रजिस्टर
3. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 303 के तहत निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्धक और सचिव का रजिस्टर
4 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत निदेशकों के निहित स्वार्थ वाली कम्पनियों एवं संस्थाओं से अनुबन्धों का रजिस्टर।
5. कम्पनी अाििनयम 1956 की धारा 193 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान होने वाली निदेशक मण्डल की सभाओं एवं साधारण सभा की कार्यवाही पुस्तिका।

परिशिष्ट 'ब'

31 मार्च 2014 को वित्तीय वर्ष के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, उ0प्र0 के साथ कम्पनी द्वारा फार्म और रिटर्न भरे गये।

* रजिस्टार आफ कम्पनीज उ.प्र.

ANNEXURE 'A'

Registers as Maintained by the Company

1. Register of Member u/s 150 of the Companies act 1956.
2. Register of Directors Shareholding us 307 of the Companies Act, 1956.
3. Register of Directors, Managing Director, Manager and Secretary u/s 303 of the Companies Act, 1956.
4. Register of Particulars of Contracts, Companies and firms in which Directors are interested u/s 301 of the Companies Act, 1956.
5. Minutes of the proceedings of the Meetings of the Board of Directors and General Meetings held during the year under Section 193 of the Companies Act, 1956

ANNEXURE 'B'

Forms and Returns as filed by the Company, during the Financial year ended 31st March, 2014.

* **With Registrar of Companies, Uttar Pradesh**

एस.के. गुप्ता एण्ड कं०
कम्पनी सचिव
9, रोलेन्ड काम्पलेक्स, अपर फ्लोर,
37/7 वेस्टकोट बिल्डिंग, दि माल,
कानपुर–208001, फोन : (का.) 2315123
(फैक्स) 2366642 सेल : 9415042137
ई–मेल : sk_gupta1@rediffmail.com

S.K. GUPTA & CO.
Company Secretaries
9, Roland Complex, Upper Floor,
37/7, Westcott Building,
The Mall, Kanpur - 208001
Phone : (O) 2315123
(F) 2366642, Cell : 9415042137
E-mail : sk_gupta1@rediffmail.com

क्र. सं.	प्रपत्र	उददेश्य	जमा करने की तिथि जमा	क्या समय से जमा किया गया हाँ/नहीं
1.	प्रपत्र सं० 66 (अनुवृत्ति प्रमाण पत्र)	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383ए के अन्तर्गत दिनांक 09.07.2013	28.09.2013	हाँ
2.	प्रपत्र सं0 23 एसी XBRL एवं एसीए XBRL (वार्षिक लेखा)	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 220 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2013	11.10.2013	हाँ
3.	प्रपत्र सं0 20बी (वार्षिक आख्या)	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159 के अन्तर्गत दिनांक 17.09.2013	08.10.2013	हाँ
4.	फार्म संख्या–32	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 303 के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2013	13.05.2013	नहीं
5.	फार्म संख्या–32	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 303 के अन्तर्गत दिनांक 23.05.2013	17.07.2013	नहीं
6.	फार्म संख्या–32	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 303 के अन्तर्गत दिनांक 23.05.2013	12.07.2013	नहीं

- क्षेत्रीय निदेशक के यहाँ : नहीं
- भारत सरकार या अन्य अधिकारियों के समक्ष : नहीं

कृते एस. के. गुप्ता एण्ड कं०
कम्पनी सेकेट्री

ह0
(एस. के. गुप्ता)
मैनेजिंग पार्टनर
सी.पी. नम्बर 1920

स्थान : कानपुर
दिनांक : 30.06.2014

Sr.	Forms	Purpose	Date of actual filing	Whether filed timely or not Yes/No.
1.	Form No. 66 (Compliance) Certificate	U/s 383A of the companies Act, 1956 dt. 09.07.2013	28.09.2013	Yes
2.	Form No. 23AC & ACA (Annual Accounts)	U/s 220 of the Companies Act, 1956 dt. 31.03.2013	11.10.2013	Yes
3.	Form No. 20B (Annual Return)	U/s 159 of the Companies Act, 1956 as on 17.09.2013	08.10.2013	Yes
4.	Form No. 32	U/s 303 of the Companies Act, 1956 dt. 31.01.2013	13.05.2013	No
5.	Form No. 32	U/s 303 of the Companies Act, 1956 dt. 23.05.2013	17.07.2013	No
6.	Form No. 32	U/s 303 of the Companies Act, 1956 dt. 23.05.2013	12.07.2013	No

- With Regional Director : NIL
- With Central Government or other authorities : NIL

For **S. K. GUPTA & CO.**
Company Secretaries
Sd/-
(S. K. GUPTA)
Managing Partner
C.P. No. 1920

Place : Kanpur
Date : 30.06.2014